अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 482(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट, 61-62, द्वारका नगर सोसायटी, बामरोली रोड, गोधरा-389001, जिला पंचमहल, गुजरात" द्वारा "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 64.30 लाख रू0 की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 64.30 लाख रू0 से बढ़कर 1.00 करोड़ रू0 होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 64.30 लाख रूपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रूपये करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा (क) "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट, 61-62, द्वारका नगर सोसायटी, बामरोली रोड, गोधरा-389001 जिला पंचमहल, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और

(ख) दिनांक 14 जून, 2011 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 1370 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 3 की सारणी के कॉलम 4 में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित कॉलम (4) में "64.30 लाख रू0" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "1.00 करोड़ रू0" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 112/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)